न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ील संख्या : 16/97

श्रीमती रामरेख आयु 40 वर्ष पत्नी गिरिराज जाति बैरागी निवासी पीपल्दा जागीर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपल्दा जागीर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्पल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कृष्णदत्त दाधीच, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 11.10.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2015 विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम पीपल्दा जागीर तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 373 रकबा 3.29 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी को आराजी खसरा नम्बर 373/1 रकबा 0.64 हैक्टर भूमि वादी को आवंटित हो रखी है । उक्त भूमि के समीप ही माताजी के चौक के नाम से सिवायचक भूमि है जिसमें सरकारी स्कूल चल रहा है । प्रतिवादी ने दिनांक 17.12.2013 को वादी की समीा की बाउन्ड्री को हटाकर फैक दिया तथा अतिक्रमण करते हुए 4–5 फिट भूमि में दाखिल होकर अन्दर नींव खोदना प्रारम्भ कर दिया है जब वादिया ने मना किया तो प्रतिवादी द्वारा पूरी जमीन पर कब्जा करने की धमकी देकर वादिया को मारने पर उतारू हो गये और अतिक्रमण करने पर आमादा हो रहे हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

...नांक ....

साक्षी

पृष्ठ समर्थन स्वीकार है ।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादी वादिया की भूमि में अतिक्रमण नहीं करे ना ही ऐसा किसी अन्य से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 07.07.2015 के द्वारा वादी का वाद आंशिक स्वीकार करते हुए प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश पारित कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 07.07.2015 के द्वारा वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है और उसमें संशोधन अत्यन्त आवश्यक है इस कारण से दिनांक 08.01.2016 को अपीलान्ट द्वारा नकल का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिस पर दिनांक 22.01.2016 को नकल प्राप्त हुई । इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह अधीनस्थ न्यायालय में काउन्टर क्लेम के अभाव में दिया है जो तथ्यों के विपरीत होने से संशोधनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 24.07.2014 जिसमें कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में यह तथ्य अंकित किया कि विद्यालय की पक्की दीवार 24 गुणा 18 कुल 432 वर्गमीटर रामरेख पत्नी गिरिराज कौम बैरागी के खाते में दर्ज भूमि में बनी हुई है उक्त दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2015 निरस्त फरमाई जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपल्दा जागीर अपीलान्ट को आवंटित भूमि के पूर्व से ही स्थापित था एवं विद्यालय का रास्ता पूर्व से ही चला आ रहा था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2015 बहाल रखा जावे ।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस मनन किया । सर्वप्रथम हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । उक्त प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है क्योंकि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई काउन्टर क्लेम आदि भी प्रस्तुत नहीं किया है फिर भी प्रतिवादी के पक्ष में अनुतोष पारित किया गया है जो विधि सम्मत नहीं है । प्रस्तुत प्रकरण में मौका पर्चा रिपोर्ट प्रस्तुत किया है जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने अवलोकन किये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रस्तुत प्रकरण मं पर्चा मौका का ध्यान में रखते हुए पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 22.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 11.10.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा